भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4676
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2021

दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा

4676. श्री रमेश बिन्द:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता देश के दूरसंचार बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(ग) प्रतिस्पर्धा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अर्थ क्षमता सुनिश्चित करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): आम लोगों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 ने भारत में पंजीकृत कंपनियों को दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में भाग लेने की अनुमति दी थी। भारतीय कंपनी अधिनियम के पंजीकृत तथा कतिपय शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियां विनिर्दिष्ट लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट लाइसेंस/प्राधिकार मांगने के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह लाइसेंस नॉन-एक्सक्लूजन आधार अर्थात किसी सेवा क्षेत्र में किसी सेवा प्रावधान के लिए ऐंनट्रेंट की संख्या पर बिना किसी रोक-टोक के प्रदान किया जाता है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों का विवरण इसकी वेबसाइट https://dot.gov.in/ पर उपलब्ध है। दूरसंचार सेवाओं के टेरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा शासित होते है; तथा ये ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं तथा पट्टाकृत सर्किटों को छोड़ कर फोरविरेंस के अधीन हैं।

(ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 23.10.2019 को बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की पुनरूद्धार योजना को मंजूरी दे दी जिसमें वैकल्पिक सेवा निवृत्ति स्कीम (बीआरएस) के माध्यम से कर्मचारियों की लागत में कमी, पूंजीगत मिश्रण के माध्यम से 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, संप्रभु गारंटी बांडों के द्वारा ऋण पुनर्गठन, प्रमुख तथा अप्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तथा बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी शामिल थे।

******